

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016/फाल्गुन 26, 1937

No. 672]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/ PHALGUNA 26, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2016

का.आ. 1129(अ).—केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि ट्रेलरों को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 96ग एवं नियम 97 के उपनियम (3) के उपबंधों से 1 अगस्त, 2016 की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, छूट प्रदान करती है।

[सं. आर. टी-11036/31/2010-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2016

**S.O. 1129(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts the agricultural trailers from the purview of rule 96C and sub-rule (3), of rule 97 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 till the 1<sup>st</sup> August, 2016 or until further orders, whichever is earlier.

[No. RT-11036/31/2010-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.